न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर -- /2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
2. खड़गसिंह पुत्र रामकिशन
3. छेवकिशन पुत्र हजारी
4. पूना पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी आकोदिया तहसील बरनाला —प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला —अप्रार्थी

वकील प्रार्थी — श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :— 18-6-25

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2.08 है0 स्थित ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला में स्थित है। प्रार्थीगण गरीब कृषक काश्तकार हैं। आराजी के पास उक्त आराजी जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा है। आराजी में अभी कोई काश्त नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी की बाउण्ड्री डिमाकेशन नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को काश्त करने में असुविधा होती है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी की बाउण्ड्री डिर्माकेशन की जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी को काश्त करने में सुविधा हो सके व किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जा चुका है। जिसकी नकल साथ में संलग्न है। दिनांक 28.04.2025 को पटवारी हल्का को उक्त आराजी की बाउण्डी डिर्माकेशन बाबत कहा तो उसने कहा कि आप इसके लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करे तब ही बाउण्डी डिर्माकेशन होकर पत्थरगढ़ी कर सकूंगा। उक्त आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2.08 है0 ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला को डिर्माकेशन करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी हल्का को फरमाए जावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2.08 है0 ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला को डिर्माकेशन करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल सुमेल भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा 96 रकबा 2.08 है0 स्थित ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है।

उपजिला कलक्टर (SDO) बामनवास

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा--128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल सुमेल भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 96 रकबा 2.08 है0 स्थित ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक बैराड़ा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बैराड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner